(1)

UPKN010065592026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं–08, कानपुर नगर

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 2236 / 2026

निहाल कुमार प्रजापति उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र लाला कुमार प्रजापति निवासी–नारायण पुरी जोगी मंदिर, गल्ला मण्डी, थाना हनुमंत बिहार, कानपुर नगर।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य जरिये डी0जी0सी0 (क्रिमिनल)

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–193 / 2025
धारा–309(4), 317(2) बी0एन0एस0
थाना–रेल बाजार, कानपुर नगर।

12.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी / अभियुक्त निहाल कुमार प्रजापति की ओर से मु0अ0सं0–193 / 2025, धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0, थाना रेल बाजार, कानपुर नगर में प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अधिवक्ता देवयानी विलात्कर असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउसिंल का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेशानुसार जरिये अन्तरण प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तुत अभियोग में वादी मुकदमा अमित चौहान द्वारा दिनांक 18.12.2025 को समय 18:12 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज़ करवाई गई कि वादी अमित चौहान पुत्र श्री संत निवास सिंह निवासी जिला महाराजगंज वेला ओलीवक्स पुर ग्राम महुलानी का निवासी है। वादी टाटमिल चौराहे से आटो में करीब 12:30 बैठा है। इसके पश्चात आटो चालक एवं उसके दो सहयोगी सातई के द्वारा रामादेवी के पहले रेलवे क्रासिंग ब्रिज के पास वादी का Phone laptope

(dell inspiron 3520), pen tab (X-pen), printer बल पूर्वक छीन लिया गया। अतः वादी की रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

3. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि आवेदक को उपरोक्त मामले में झूठा और निराधार रूप से फंसाया गया है। आवेदक ने कोई भी कथित अपराध नहीं किया है और वह पूरी तरह निर्दोष है। जिला विधि सहायता सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर की ओर से, आवेदक की यह जमानत याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष पहली बार नए सिरे से दायर की गई है और इस याचिका के अलावा किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय में कोई अन्य याचिका लंबित नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता अमित चौहान ने आरोप लगाया है कि 17–12–2025 को लगभग 12:30 बजे शिकायतकर्ता एक ऑटो में यात्रा कर रहा था, जब ऑटो चालक और उसके दो साथियों ने जबरदस्ती शिकायतकर्ता का लैपटॉप, पेन टैब और प्रिंटर छीन लिया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एफ.आई.आर. 18–12–2025 को दर्ज की गई थी, यानी 1 दिन की अस्पष्ट देरी के बाद, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है। आवेदक से कथित रूप से बरामद की गई संपत्ति झूठी, मनगढ़ंत और पूरी तरह अस्वाभाविक है। पुलिस ने एक झूठी कहानी गढ़ी है। अत्यधिक भीड़भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद कथित बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। बरामदगी के समय पुलिस द्वारा धारा 105 बी.एन.एस.एस. का अनिवार्य अनुपालन नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा चोरी की गई वस्तुओं और आवेदक/आरोपी की पहचान नहीं की गई। सह–आरोपी अमित कुमार पासवान उर्फ आदित्य की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 27–01–2026 के आदेश के से खारिज की जा चुकी है। आवेदक 20–12–2025 से यानी लगभग पाँच महीने की अवधि के लिए जेल में बंद है, जबकि वह पूरी तरह से निर्दोष है और उसने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोप तय होने के बावजूद, न्यायालय के समक्ष अब तक केवल एक ही गवाह की जांच की गई है और मुकदमे की कार्यवाही में अत्यधिक देरी होने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक को जमानत पर रिहा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में पूरी तरह से सहयोग करेगा। आवेदक

अत्यंत गरीब है और उसके पैरवी के लिए कोई वकील नहीं है, जिसके कारण जिला कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा मुझे सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत पेश करने के लिए नामित किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों और कारणों के आधार पर, यह आवश्यक है कि आवेदक को उचित और न्यूनतम जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाए। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त ने जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

4. विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौज़दारी) द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध है। विवेचना के दौरान अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रकाश में आई है तथा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त आधार मौजूद अभियुक्त से बरामदगी के संबंध में पुलिस द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई है, जिसे झूठा एवं मनगढ़ंत बताना गलत है। स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति मात्र से बरामदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं पुलिस गवाह भी विधि सम्मत साक्ष्य होते हैं। अभियुक्त द्वारा विवेचक पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। यदि अभियुक्त जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने तथा न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है। अभियुक्त आपराधिक किस्म का व्यक्ति है अतः अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाय।

5. विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौज़दारी) व अभियुक्त की विद्वान अधिवक्ता देवयानी विलतकर, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में, प्रपत्रों व समस्त केस डायरी का परिशीलन किया गया।

6. प्रस्तुत अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–193/2025, धारा 309(2) बी0एन0एस0 में आटो चालक नाम पता अज्ञात एवं दो अन्य सहयोगी साथी नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा का Phone laptope (dell inspiron 3520), pen tab (X-pen), printer बल पूर्वक छीने जाने का आरोप लगाया गया है।

7. फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त निहाल कुमार प्रजापति की जामा तलाशी से पहने हुये जींस की दाहिनी जेब से 40 रुपये बरामद हुये तथा उपरोक्त आटो की तलाशी ली गयी तो आटो की पिछली सीट के पिछले हिस्से से 01 सफेद झोले में 01 एचपी प्रिन्टर काले रंग का जिस पर सीरियल नं0 CN52923337 व FPU NO. A9T81-64002(26) अंकित है व 01 डेल इन्सपिरॉन कम्पनी का हल्के ग्रे रंग का लैपटाप जिसके पृष्ठ भाग पर लगी स्लिप पर मॉडल नं0 P112FM02 अंकित है मय चार्जर व एक एक्सपी पेन टैब काले रंग का जिसके पृष्ठ भाग पर लगी स्लिप पर सीरियल नं0 DKV2913135A8AB9 अंकित है व एक मोबाइल सैमसंग सफेद रंग का बरामद हुआ। उपरोक्त माल के संबंध में पूछा गया तो बताया कि लगभग 03 दिन पहले रात में उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक सवारी जिसको हमने टाटमिल चौराहे से रामादेवी के लिये अपने आटो में बैठाया था, जिसको सीओडी पुल के नीचे ले जाकर लूटा था। पकड़े गये व्यक्तियों से उक्त आटो के संबंध में पूछा गया तो एक स्वर में बताया कि ये वही आटो है जिसको हमने लूट करते समय उपयोग किया था जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP78KN9855 है जिसको हम अभियुक्तगण ने मिलकर नौबस्ता के शशी राजपूत से किराये पर लिया है। उक्त आटो के रजिस्ट्रेशन कागज माँगे गये तो दिखाने में कासिर रहे जिसे धारा 207 एमवी एक्ट में मौके पर सीज किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी स्थल पर वादी मुकदमा को फोन करके बुलाया गया है, जिसने मौके पर अभियुक्तगण व लूटे हुए माल की पहचान की है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप भी विरचित किया जा चुका है। सह–अभियुक्तगण अमित कुमार पासवान उर्फ आदित्य व रिंकू यादव का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

8. अभियुक्त पर लगाये गये आरोप की प्रकृति व दण्ड की मात्रा तथा उसके जमानत पर रिहा होने पर उसके फरार होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है, तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

(5)

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त निहाल कुमार प्रजापति द्वारा मु0अ0सं0 193/2025, धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0, थाना रेल बाजार, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाता है। अभियुक्त/अभियुक्त अधिवक्ता को आदेश की नकल निःशुल्क अविलम्ब प्राप्त करायी जाए।

दिनांकः 12.06.2026

(विजय कुमार गुप्ता–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0–08,
कानपुर नगर।

Digitally signed by VIJAY KUMAR GUPTA
Date: 2026.06.12 14:40:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court